92

संख्या 2260 / III(2)/14-60(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 02 अप्रैल, 2014

विषयः- **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सोनप्रयाग-गौरीकुण्ड पैदल मार्ग का किमी0 73-76 के मध्य मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, राज्य योजनान्तर्गत, शासनादेश सं0:- 797/III(2)/14-60(प्रा0आ0)/2013 दि0 08-02-2014 द्वारा लागत ₹ 185.73 लाख की प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पी0आई0यू0 (रोड एवं ब्रिज) यू0डी0आर0पी0 देहरादून न अपने पत्र सं0:-07/एस0टी0/2013-14 दिनांक 21-03-2014 द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सोनप्रयाग-गौरीकुण्ड पैदल मार्ग का किमी0 73-76 के मध्य मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा निविदाओं की दरें स्वीकृत दरों से अधिक दी गयी, ठेकेदारों द्वारा क्षेत्र की विषम भोगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा ग्रस्त क्षेत्र होने के दृष्टिगत दरें कम करने से इंकार किया गया है। फलस्वरूप कार्यस्थल की आवश्यकता अनुरूप श्रमिक दरों को पुनरीक्षित करने करने के कारण तथा स्वीकृत लागत ₹ 185.73 लाख में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पी0आई0यू0 (रोड एवं ब्रिज) यू0डी0आर0पी0 देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी सम्पूर्ण लागत ₹ 449.48 लाख (₹ 185.73 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 263.75 लाख पुनरीक्षित लागत) है, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई धनराशि **₹ 449.48** लाख (₹ 185.73 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 263.75 लाख पुनरीक्षित लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं0:- 797/III(2)/14-60(प्रा0आ0)/2013 दि0 08-02-2014 द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 185.73 लाख को प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि **₹ 449.48** लाख से घटाते हुए, पुनरीक्षित लागत **₹ 263.75** (₹ दो करोड़ त्रिसठ लाख पिचहत्तर हजार मात्र) में अवशेष कार्यो को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो तो उस धनराशि को समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नही की जायेगी। यह शासनादेश केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

3- उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण लागत **₹ 449.48** लाख के कार्यो के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

6- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

9– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

10– पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11– उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पत्रावलियों में दिये गये परामर्शानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्याः-2260 (1)/ III(2)/14–60(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, पी0आई0यू0 (रोड एवं ब्रिज) यू0डी0आर0पी0 देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव